सं0 49011/31/2008 – स्था. (ग)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 23 जनवरी, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें – अस्थायी दर्जे के अनियत मजदूरों को संशोधित समूह 'घ' वेतनमान की अनुप्रयोज्यता

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 12/09/2008 के कार्यालय ज्ञापन का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उन अनियत मजदूरों जिन्होंने इस विभाग द्वारा जारी की गई अनियत मजदूर (अस्थायी दर्जा की स्वीकृति और नियमितकरण) योजना, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी दर्जा प्राप्त किया था और जो 1/1/2006 को संशोधन पूर्व एस - । वेतनमान के आधार पर पारिश्रमिक प्राप्त करते थे, का पारिश्रमिक 1/1/2006 से वेतनबैंड - । + ग्रेड वेतन 1800/- रूपए के आधार पर आकलन करके भुगतान किया जाए बशर्ते कि वे मैट्रिक पास हों । इसी तरह रखे गए गैर मैट्रिक पास अस्थायी दर्जे के अनियत मजदूरों के मामले में 1/1/2006 से उपर्युक्त पारिश्रमिक का लाभ, वित्त मंत्रालय के दिनांक 24/12/2008 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/1/2008 – आई सी में इंगित लाइनों के आधार पर अपने-अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद ही दिया जा सकता है।

2. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से जारी किया जाता है ।

प्रभाकरन

(पी. प्रभाकरन)
निदेशक (स्थापना)

प्रति,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग तथा उनके सम्बंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

प्रतिलिपि :- एन आई सी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इन अनुरोध सहित कि वे उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन को इस मंत्रालय की वेबसाई पर स्थापना के कार्यालय ज्ञापन और परिषद (दैनिक मजदूरी वाले अनियत मजदूर) के अंतर्गत ताकि होम पृष्ठ में 'नया क्या है' के अंतरित डाल दें ।